



153

न्यायालय श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय, राजस्व मंडल
सर्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा म0प्र0

404
23-7-14



RS. 201-



R. 2514-11114

बैजनाथ तनय श्री जोखई यादव, निवासी ग्राम पिड़रियां थाना व तहसील
हनुमना जिला रीवा म0प्र0

निगरानीकर्ता / आवेदक

उ. वि. अ. प्र. क्र. मा. वि. वेरी. एड.
द्वारा जन्म तिथि 23-07-14 के
प्रस्तुत किया गया
M
रीवा
सर्किट कोर्ट रीवा

बनाम

रामनिहोर तनय श्री पंचम चमार, निवासी ग्राम पिड़रिया, थाना व तहसील
हनुमना जिा रीवा म0प्र0

क्रमांक 9507
रीवा जिला कोर्ट आज
दिनांक को प्राप्त
2-8-14
राजस्व मंडल अ. प्र. मन्त्रालय

गैरनिगरानीकर्ता / अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मंडल
खटखरी, तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0 के
प्रकरण क्रमांक 74/अ-12/2012.13 आदेश
दिनांक 15.07.14।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू रा0 सं01959

M

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :-

1. यह कि अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक मंडल खटखरी तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0 द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।


Signature

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक... R-2514 - ~~हीन/14~~..... जिला... सीवा.....

..... ~~वैजंताप पाठक~~ विरुद्ध रामनिचोट चणोट.....

1	2	3
<p>19.12.18</p>	<p>1. आवेदक की ओर से श्री विजय कृष्ण टंडवरी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त रवश्यरी तहसील हनुमाना के प्रकरण क्रमांक 74/A/2/12.13 में पारित आदेश दिनांक 15.7.14 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 14.3.19 को कलेक्टर सीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">  सदस्य </p>	

